

सं०- 16/बी1-07/2018 - 16 ब (आ.चि.)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

अधीक्षक,
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक - 14.9.2018

विषय-शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां-101 आयुर्वेद-0004 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना, विपत्र कोड-20-2210021010004 माँग संख्या - 20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विभिन्न इकाईयों से कुल 2,51,67,500/- (दो करोड़ इकावन लाख सरसठ हजार पाँच सौ) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए कुल 2,51,67,500/- (दो करोड़ इकावन लाख सरसठ हजार पाँच सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० -2561/वि०(2) दिनांक -17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या - 354/वि० दिनांक 28.03.2018 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3244/वि० दिनांक-04.05.2018 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं० 20 अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां-101 आयुर्वेद-0004 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना, विपत्र कोड-20-2210021010004 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना /अपर सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक - 12.2.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन एवं उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।


10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह फरवरी 2019 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

11. वित्तीय वर्ष 2018-19 का अद्यतन व्यय विवरणी के साथ पूरे वित्तीय वर्ष का व्यय आकलित कर मांग पत्र भेजी जाय, तथा प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक नियमित रूप से व्यय विवरणी भी भेजी जाय।

12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

13. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप सं०- 16 'ब' (आ.चि.)

पटना, दिनांक - 14.9.2018

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

0004 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना, वित्तीय वर्ष 2018-19

विवरण

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	01 01	22500000	11250000	11250000	22500000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	2500000	1250000	1250000	2500000	0
3	मकान किराया भत्ता	01 04	4734000	2367000	2367000	4734000	0
4	परिवहन भत्ता	01 05	1103000	551500	551500	1103000	0
5	चिकित्सा भत्ता	01 06	408000	204000	204000	408000	0
6	अन्य भत्ता	01 07	598000	299000	299000	598000	0
	योग (वेतन एवं भत्ता)		31843000	15921500	15921500	31843000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	100000	50000	50000	100000	0
8	यात्रा व्यय	11 01	50000	25000	25000	50000	0
9	कार्यालय व्यय	13 01	600000	300000	300000	600000	0
10	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	13 02	100000	50000	50000	100000	0
11	दूरभाष	13 03	100000	50000	50000	100000	0
12	विद्युत प्रभार	13 04	100000	50000	50000	100000	0
13	विधि प्रभार	13 05	100000	50000	50000	100000	0
14	वर्दी पोशाक	13 06	40000	20000	20000	40000	0
15	किराया म0एवं कर	14 01	500000	250000	250000	500000	0
16	प्रकाशन एवं मुद्रण	16 01	100000	50000	50000	100000	0
17	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	20 02	200000	100000	100000	200000	0
18	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	2500000	1250000	1250000	2500000	0
19	दवा भंडार	21 02	6000000	3000000	3000000	6000000	0
20	आहार/पथ्य	21 03	2000000	1000000	1000000	2000000	0
21	लघु कार्य	27 01	1000	500	500	1000	0
22	अनुरक्षण एवं मरम्मत	27 02	1000	500	500	1000	0
23	संविदा सेवायें	28 02	5000000	2500000	2500000	5000000	0
23	मशीन एवं उपस्कर	52 01	1000000	500000	500000	1000000	0
	योग		18492000	9246000	9246000	18492000	0
	कुल योग		50335000	25167500	25167500	50335000	0

(दो करोड़ इकावन लाख सरसठ हजार पाँच सौ) रूपये मात्र

16 'ब' (आ. चि.)
14.9.2018

Q. 207118
सरकार के विशेष सचिव